2567

संख्या– /62–2–2010–2/3(110)/2009टी0सी0

प्रेषक,

डा0 एस0के0 पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 15 जूलाई, 2010

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष–15 के अन्तर्गत स्वीकृत सामुदायिक ब्लास्टकूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की नई योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश में संशोधन।

महोदय,

प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.–15) से वित्त पोषित सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजना के कियान्वयन संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या–1704/62–2–2010–2/3(110)/2009टी0सी0, दिनांक 25.05.2010 द्वारा निर्गत किये गये हैं। क्षेत्रीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 25.05.2010 के प्रस्तर–6(I)(4) एवं प्रस्तर–6(III)(1) को संशोधित करते हुए निम्नवत् रूप से व्यवस्था किया जा रहा है:–

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर–6(I)(4) (अ) सामान्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित समूह में न्यूनतम 02 सदस्य (लाभार्थी) अनुसूचित जाति/जनजाति के होने चाहिए। (ब) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित समूह में न्यूनतू 51 प्रतिशत या उससे अधिक लाभार्थी अनुसूचिज जाति/जनजाति के होंगे।	प्रस्तर–6(I)(4) योजना के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले समूहों में से 23 प्रतिशत समूह अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे, जिसमें न्यूनतम 51 प्रतिशत या उससे अधिक लाभार्थी अनुसूचितजाति/जनजाति के प्रत्येक समूह में होंगे।
प्रस्तर–6(III)(1) लघु सिंचाई विभाग द्वारा योजना क्षेत्र	प्रस्तर–6(III)(1) लघु सिंचाई विभाग द्वारा योजना

का भूगर्भ जल विभाग की सहायता से विस्तृत सर्वेक्षण कराने के पश्चात् ब्लास्टकूप निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु उपयुक्त स्थलों का चिन्हांकन किया जायेगा, यदि भूगर्भ जल विभाग द्वारा ब्लास्टकूप हेतु सर्वेक्षण का कार्य करने में असमर्थता बताई जाती है तो भूजल सर्वेक्षण का कार्य सुसंगत आदेशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं वित्तीय नियमों के तहत निजी संस्थाओं से निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कराई जाय।	क्षेत्र का भूगर्भ जल विभाग की सहायता से विस्तृत सर्वेक्षण कराने के पश्चात् ब्लास्टकूप निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु उपयुक्त स्थलों का चिन्हांकन किया जायेगा, यदि भूगर्भ जल विभाग द्वारा ब्लास्टकूप हेतु सर्वेक्षण का कार्य करने में असमर्थता बताई जाती है तो भूजल सर्वेक्षण का कार्य सुसंगत आदेशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं वित्तीय नियमों के तहत निजी संस्थाओं से निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कराई जाय। प्रत्येक जनपद में सर्वप्रथम सिंचाई एवं पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त ग्रामों का चिन्हांकन कर लक्ष्य निर्धारित करके कार्य कराया जाय, ताकि योजना का लाभ प्रभावी रूप से दिखाई दे। शेष लक्ष्य भी यथासंभव काम्पेक्ट एरिया में ही निर्धारित किये जायें। साथ ही योजना का प्रचार-प्रसार स्थानीय प्रेस के माध्यम से कराया जाय। प्रथम आवत-प्रथम पावत के सिद्धान्त पर समूहों को लाभान्वित कराने की योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का तिथिवार अंकन करने हेतु रजिस्टर बनाया जाय।

2— इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश संख्या-1704/62-2-2010-2/3(110)/2009टी0सी0, दिनांक 25.05.2010 संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

भवदीय,

(डा0 एस0के0 पाण्डेय)
विशेष सचिव।

2567

सं0— (1)/62-2-2010,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2— महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3— संबंधित मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
4— संबंधित जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
5— संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0।
6— संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास/जिला विकास अधिकारी) उ0 प्र0।
7— निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
8— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0।
9— राज्य योजना आयोग अनुभाग—3, उ0 प्र0 शासन।
10— वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग—2/3
11— वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग—2
12— निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्य मंत्री, (श्री जमील अख्तर)।
13— विषय विशेषज्ञ, निदेशक (प्रशिक्षण), लघु सिचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
14— बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।